न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 29 / 2018

अपीलांट्स — *बनाम*

1. उगमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. देवीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
   जाति राजपूत निवासी
   सेतराउ हाल चाडी तहसील
   रामसर जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर
2. स्वरूपसिंह पुत्र सादुलसिंह
3. कल्याणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
4. हरकंवर पत्नी अर्जुनसिंह
   जाति राजपूत निवासी सेतराउ
   हाल चाडी तहसील रामसर
   जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 394 दिनांक 21.12.2004 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री प्रतापसिंह राठौड, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 28.07.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 21.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य [illegible] कि मौजा सेतराउ के खेत खसरा नम्बर 380, 380[illegible] 01–13 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के खातेदारान स्वरूप[illegible] पुत्र सादुलसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत [illegible]र्थना–पत्र दिनांक [illegible]2004 तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान प्रधानाध्यापक राउप्रावि खारिया कला द्वारा की गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक रामसर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त इकरारनामे की जांच की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 394 दिनांक 21.12.2004 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख के साथ ही मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाया जाकर अवलोकन किया। हस्तगत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 अपीलांट के रूप में संस्थित किये गये थे किन्तु दौराने विचारण अपील उक्त पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकट किया कि उनकी ओर से अपील नहीं की गई है न ही अपील प्रस्तुत करने में उनकी कोई सहमति थी। अतः उनकी ओर से अपील विड्रो फरमाई जावे। इस प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई उपरान्त अपीलांट से हटाकर रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

न्यायालय अपर कलेक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सेतराउ के खसरा नंबर 380, 380/2 कुल रकबा 153–16 बीघा भूमि अपीलांट्स के पिता अर्जुनसिंह व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वरूपसिंह की पुश्तैनी भूमि थी जिसमें दोनों खातेदारों का बराबर–बराबर हिस्सा था। उक्त भूमि के संबंध में खातेदारान ने करीब 40 साल पहले भूमि की उपजाउपन एवं कीमत के आधार [illegible] रूप से बंटवाडा कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर रखा [illegible] पढ़ा–लिखा एवं होशियार व्यक्ति था जिसने राज[illegible]को अपने प्रभाव में लेकर अपीलाधीन बंटवाडा गलत रूप से स्वीकृत करा लिया। अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन में बाहमी तौर के किये गये बंटवाडे एवं कब्जाकाश्त से भिन्न तरमीम नक्शा तैयार करवाया जिसमें अपीलांट्स के कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट ने अपने नाम दर्ज करवा दी। अपीलांट्स के पिता अर्जुनसिंह अनपढ वृद्ध आदमी थे जिन्होंने विभाजन प्रस्ताव पर केवल अंगूठा अंकित किया था जबकि यह विभाजन प्रस्ताव वास्तविक विभाजन एवं भौतिक कब्जा के विपरीत था। अपीलाधीन विभाजन में अपीलांट्स के खेत को दो टुकडों में विभक्त कर दिया जबकि स्वयं रेस्पोडेंट ने एकल खेत प्राप्त किया। रेस्पोडेंट ने अपने के कब्जे की 8-15 बीघा भूमि गलत रूप से अपीलांट्स के हिस्से में दे दी जबकि उस पर रेस्पोडेंट का ही कब्जाकाश्त था। रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी के पास जहां मुख्य सड़क चल रही है एवं अपेक्षाकृत भूमि की कीमत अधिक है वह अपने हिस्से में ज्यादा रखते हुए अपीलांट्स को कम दी गई इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर तत्समय अपीलांट्स को ज्ञान नहीं होने दिया एवं गलत तथ्य अंकित कर वास्तविक कब्जेकाश्त के अनुसार बंटवाडा करना बताकर प्रपीडन व असम्यक असर द्वारा अपीलाधीन बंटवाडा पारित करवा दिया जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता अर्जुनसिंह का देहान्त वर्ष 2010 में हुआ था तब उनकी फौतगी का नामान्तरकरण दर्ज करवाया गया तब अपीलांट्स को अपीलाधीन बंटवाडे की जानकारी नहीं हुई थी। अभी रेस्पोडेंट संख्या 2 के पुत्र महेन्द्रसिंह, विपेन्द्रसिंह व महावीरसिंह ने अपने पिता के विरूद्ध एसडीओ रामसर के न्यायालय में वाद पेश कर अपने पिता के जीवनकाल में विवादित आराजी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु घोषणा का दावा प्रस्तुत किया तथा मौके पर अपीलांट्स के कब्जाकाश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांट्स को कब्जा हटाने एवं बेदखल करने की धमकियां दी गई तब अपीलाधीन बंटवाडे की जानकारी हुई। अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय से अपीलाधीन बंटवाडे की नकलें मांगी जो दिनांक 22.02.2018 को प्राप्त हुई तथा दस्तावेज मिलने पर सम्यक तत्परता से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो अन्दर मयाद शुमार की जावे। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स के पिता अर्जुनसिंह व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वरूपसिंह सगे चाचा-भतीज हैं। अर्जुनसिंह ने अपने जीवनकाल में भतीज स्वरूपसिंह के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

साथ आपसी सहमति से तहसीलदार रामसर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.12.2004 को स्वीकृत हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है तथा यह भी प्रकट किया है कि उनकी ओर से यह अपील उनकी सहमति के बिना प्रस्तुत की गई है जो जरिये विड्रो खारिज फरमाई जावे। अपीलांट्स द्वारा यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो किसी प्रकार से सद्भाविक विलम्ब नहीं हैं जो किसी प्रकार से क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने अपने अभिकथन आवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि अर्जुनसिंह व स्वरूपसिंह के मध्य पूर्व में जो बंटवाडा हुआ है वह सही है। इस प्रकार सहमति से हुए बंटवाडे को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील खारिज योग्य है जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.12.2004 तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि पूर्व में बाहमी बंटवाडे अनुसार अपीलांट्स के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं तथा अपीलांट्स की भूमि दो टुकडों में बांट दी गई है। अपीलाधीन विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 जिन्हें पूर्व में अपीलांट्स के रूप में संस्थित किया गया था ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर [illegible] कि अपीलाधीन विभाजन तत्समय के पक्षकरान की पूर्ण सहमति से [illegible] किया गया था जिसकी जानकारी सभी पक्षकारान को थी। इस प्र[illegible] अपीलाधीन आदेश करीब 14 वर्ष पूर्व पारित हुआ था [illegible] स्वयं पक्षकार नहीं होकर उनके पिता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी तथा इसके प्रतिकूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट्स का कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार रामसर के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार रामसर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट्स के पिता द्वारा प्रकट की गई सहमति के बाद अब अपीलांट्स की ओर से इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स के पिता जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार रामसर के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई 14 वर्ष की लम्बी समयावधि का कोई ठोस एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:06 IST
Reason: SelfAttested